न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–18/2022

श्यामरथी देवी – आवेदिका
बनाम्
रमिता देवी वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदिका की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–18/2026 मूल स्वत्व वाद सं0–202/2022 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–202/2022 जो दिनांक–06.08.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदिका/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–18/2026 दाखिल किया गया है। आवेदिका को तत्कालीन अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के कारण वादिनी समय सीमा के अन्दर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो सका जिसके कारण वाद अदम पैरवी में दिनांक–06.08.2025 को खारिज हो गया। जब आवेदिका दिनांक–27.01.2026 को एक अन्य मुकदमा के संबंध में पूछताछ करने के लिए न्यायालय आयी तब अधिवक्ता ने बताया कि आपका मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो गया। आवेदिका जान बूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया तथा न्यायालय के आदेश मानने के लिए सदैव तैयार रहेगी। यदि वाद सं0–202 सन् 2022 पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो आवेदिका को अपूरणीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि आवेदिका का मूल नंबरी वाद संख्या–202 सन् 2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–18/2026 मूल स्वत्व वाद संख्या–202/2022 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदिका के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–06.08.2025 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदिका ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा नियत तिथि की सूचना नहीं दिया गया था।

आवेदिका के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदिका द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या–202/2022 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–18/2026 को न्यायहित में 2500/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या–202/2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.................................वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय